मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सुश्री बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 25/2020 वादपत्र धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

नोकचन्द पिता बाबरू प्रजापत नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी ।

– वादी

।। बनाम ।।

1– छोगालाल पिता हजारी डांगी नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी
2– जगदीश पिता हजारी डांगी नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी
3– जमनालाल पिता हजारी डांगी नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी
4– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

– प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील जी.एस.झाला तथा प्रतिवादीगण की ओर से x पार्टी की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा बोहेड़ा की खाता सं. 281 की आराजी नं. 2733 रकबा 0.2200 हैक्ट. में से 30 गुणा 30 मुरब्बा गज यानी 900 वर्गगज भूमि वादी नोकचन्द पिता बाबरू प्रजापत नि. बोहेड़ा के खातेदारी की घोषित की जाती है तथा इसी अनुसार खातेदारी में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी क्रमांक एक लगायत तीन को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि वे वादी के कब्जेयाबी में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करे न करावे।

इस वाद के खर्चे x प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित x को दी जावे।

यह आज दिनांक 28.6.2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(बिन्दु बाला राजावत)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2022/55 दिनांक : 28.6.2022

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेजा कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:42:55 IST
Reason: SelfAttested

(बिन्दु बाला राजावत)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलेक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- बिन्दू बाला राजावत आर. ए. एस.
प्रकरण संख्या :- 25/2020 ई.रे.

श्री नोकचन्द पिता श्री बाबरू जी जाति प्रजापत उम्र 70 वर्ष निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

बनाम **वादी**

1. श्री छोगलाल पिता हजारी जी जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज.
2. श्री जगदीश पिता हजारी जी जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज.
3. श्री जमनालाल पिता हजारी जी जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज.
4. श्रीमान तहसील दार सा0 भूमीधारी जी बडीसादडी

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधि.
वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः-

1. श्री गजेन्द्र सिंह झाला अधिवक्ता वादी की ओर से
2. प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही

// निर्णय // **दिनांक :-28/06/22**

वादी की ओर सें प्रस्तुत वाद पत्र के सक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण क्रंमाक एक लगायत तीन के आधिपत्य की व प्रतिवादीगण क्रंमाक एक लगायत तीन के खातेदारी की आराजी नम्बर 2733 रकबा 0.2200 हैक्टयर जिसके पुराने नम्बर 1788/1क रकबा 1 बिघा होकर उसमें से 30 गुणा 30 मुरब्बा गज यानी 900 वर्गगज भुमी वादी के आधिपत्य की होकर उक्त हिस्सा वादी का खरीदशुदा होकर वादी उक्त खरीदशुदा आराजी का उपयोग उपभोग शान्ति पूर्वक करता चला आरहा है। उक्त हिस्सा वादी ने हजारी पिता जगन्नाथ जी जाति डांगी जो प्रतिवादीगण क्रंमाक एक लगायत तीन के पिता थे तथा उस वक्त आराजी के मालिक व खातेदार थे उनसे बिल एवजं 63000/ तरसठ हजार रूपये में दिनांक 14/06/1995 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा वादी वक्त खरीद से वर्ष 1995 से उस हिस्से पर काबिज होकर उक्त भूभाग [illegible] चला आरहा है। तथा उक्त विक्रय बाबत एक विक्रयपत्र का नि[illegible] हजारी पिता जगन्नाथ जी डांगी द्वारा पॉच रूपये के [illegible] [illegible] तथा उक्त विक्रय के समय विक्रेता हजारी के पुत्र [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:42:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

अपनी सहमती दी थी तथा बिकावनामा स्टाम्प पर निष्पादित करा हजारी जी ने अपनी अंगुष्ठ निशानी गवाहो के समक्ष की तथा दोनो पुत्रो ने भी हस्ताक्षर व निशानी अंगुष्ठ किया तब से उक्त खरीदशुदा भूभाग पर वादी नोकचन्द काबिज होकर उसका उपयोग उपभोंग करता चला आरहा हैं तथा उक्त भूभाग के चारो तरफ वादी नोकचन्द ने पक्की बाउन्ड्रीवाल बनाई तथा लोहे की फाटक भी वादी के द्वारा लगवाई गयी तथा उक्त भूभाग का उपयोग उपभोग वादी बहैसीयत मालिक करता चला आरहा है। तथा अब जमीनो के दाम अत्यधिक बढ जाने से प्रतिवादीगण क्रंमाक एक लगायत तीन के मन में बदनियती आगयी तथा वह उसके पिता के द्वारा विक्रय किये गये उक्त भूभाग को पूनः वादी से हडपना चाहते हैं तथा उसके द्वारा उक्त भूखण्ड पर कब्जा करने तथा वादी व उसके परीजनो को परेशान करने की नियत से रात को उक्त भूखण्ड की चार दिवार को गिराने का असफल प्रयास किया तथा करीब एक दो गज भाग पर से दिवार गिरा दी तथा जो फाटक वादी की उक्त भूभाग पर लगी थी उसे रात के समय चोरी कर लेकर चले गये तथा कुए में डाल दी जिस पर वादी के द्वारा पुलिस थाना बडीसादडी में प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करायी जिसके प्रथम सूचना क्रंमाक 178/19 पुलिस थाना बडीसादडी हैं जिसमें प्रतिवादी जमनालाल को गिरप्तार कर न्यांयालय में पेश किया गया जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा तीन दिन बाद उसकी जमानत हुई तथा उसकी निशादेही से फाटक भी कुए में से बरामद की गयी तथा प्रतिवादीगण येन केन प्रकार से वादी के खरीदशुदा उक्त हिस्से को वापस छिनना चाहते है। जिसका उनको कोई हक व अधिकार नही होकर वादी उक्त हिस्से को अपनी खातेदारी में दर्ज घोषित करा अपनी खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी क्रंमाक एक लगायत तीन वादी के उक्त कब्जेयाबी व खरीदशुदा हिस्से पर जिस पर में वादी 1995 से काबिज हैं उस पर दखल अन्दाजी कर वादी को परेशान करने पर आमादा हैं जिसका उसको कोई हक व अधिकार नही होकर उक्त आराजीयात चुकि वादी की खरीदशुदा होकर केवल खातेदारी में दर्ज होने से रह गयी है। जिसे वादी अपनी खातेदारी में दर्ज घोषित कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने का अधिकारी है।

बाद जाँच प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड ई. रे. किया जाकर प्रतिवादीगण की नियमानुसार जरिए नोटीस तलब किया गया प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कायम की गयी प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नही होने से तनकियात कायम नही की गयी। साक्ष्य वादी में पी. डब्ल्यु. एक वादी नोकचन्द के बयान शपथ पत्र पर लेखबद्ध कर प्रस्तूत किये गये तथा अन्य गवाहान मिठ्ठूलाल व रतनलाल पीडब्लू 2 व [illegible] किये गयें दस्तावेज़ी साक्ष्य में जमाबन्दी व बिकावनामा व अन्य दस्त[illegible] कराये गये वादी द्वारा ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:42:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य वादी समाप्त की गयी बहस एक तरफा वादी सुनी गयी।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बिकावनामा से स्पष्ट है कि वादी के द्वारा हजारी पिता जगन्नाथ जी जाति डांगी जो उस वक्त आराजी के मालिक व खातेदार थे उनसे बिल एवज 63000/ तरसठ हजार रूपये में दिनांक 14/06/1995 को कय कर कब्जा प्राप्त किया तथा जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी उस वक्त हजारी पिता जगन्नाथ डांगी के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी तथा वर्तमान मे उनकी मृत्यू के बाद उनके वारीसान के नाम दर्ज रिकार्ड हैं उक्त दस्तावेत पर न केवल विकेता हजारी के बल्कि उसके पुत्र जो उसके वारीसान हैं उनके भी हस्ताक्षर है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनरजिस्टर्ड दस्तावेज था जिसे वादी के द्वारा नियमानुसार पंजीयन व मुन्द्राकं विभाग में आवेदन कर डयुटी व पेनाल्टी जमा करा दी हैं जो उक्त दस्तावेज के अवलोकन के स्पष्ट हैं। तथा साथ ही वादी के द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से वादी के द्वारा उक्त आराजीयात का झुझ हिस्सा खरीदना व उस पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करना पुरी तरह से साबित है। वादी ने अपना वाद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया हैं अतः वादी द्वारा प्रस्तुत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से डिक्री जारी की जाती है।

मौजा बोहेडा तहसील बडीसादडी में खाता संख्या 281 की आराजी नम्बर 2733 रकबा 0.2200 हैक्टयर में से 30 गुणा 30 मुरब्बा गज यानी 900 वर्गगज भुमी वादी नोकचन्द पिता बाबरू जी प्रजापत निवासी बोहेडा के खातेदारी की घोषित की जाती हैं तथा इसी अनुसार खातेदारी में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी कंमाक एक लगायत तीन को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि वे वादी के कब्जेयाबी में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करे न करावे। तदअनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

(बिन्दू बाला राजावत)
सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी

निर्णय आज दिनांक 28/06/2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरीत कर सुनाया गया।

(बिन्दू बाला राजावत)
सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:42:55 IST
Reason: SelfAttested